उनवान

1. हरिराम उम्र 74 वर्ष आत्मज रामकिशन जाति गुर्जर कृषि निवासी ग्राम अहमदपुरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज प्रभुलाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
2. ईश्वर लाल आत्मल प्रभुलाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
3. मिश्रीलाल आत्मज प्रभुलाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
4. नारायण आत्मज प्रभुलाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
5. रामप्रसाद आत्मज प्रभुलाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
6. धन्नालाल आत्मज हीरालाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
7. तेजराम आत्मज हीरालाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
8. रमेशचन्द आत्मज हीरालाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
9. चम्पालाल आत्मज हीरालाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
10. मोरपाल आत्मज हीरालाल जाति चमार कृषि निवासी ग्राम मुकन्दखेडी
11. रामबक्श आत्मज मोहनलाल जाति लोधा निवासी गागन्याखेडी
12. मदनलाल आत्मज प्रभूलाल जाति गाडरी निवासी हास्याखेडी
13. सागर आत्मज जमनालाल जाति गाडरी निवासी हास्याखेडी
14. रतनलाल आत्मज लक्ष्मणलाल जाति गाडरी निवासी हास्याखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—14.10.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिरोंजीलाल भार्गव — प्रार्थी
2. श्री बृजराज सिंह — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी काश्तकारी पैशा व्यक्ति है गरीब आदमी है जबकी अप्रार्थीगण शारीरिक एवं आर्थिक तौर पर सम्पन्न व्यक्ति है। संगठित परिवार से है। प्रार्थी ग्राम हास्याखेड़ी तहसील छबड़ा की आराजी ख.न. 211/6 रकबा 0.8852 हैक्टेयर का खातेदार कृषक है। आराजी वादी के स्वमित्व कब्जे एवं मालिकाना अधिकार में स्थित्त है। अप्रार्थीगण मदन, सागर सिंह, रामबख्श एवं रतनलाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

..... अप्रार्थीगण

,ं की खाते एवं कब्जे की भूमि ख.न. 211/6 के पड़ौसी खातेदार है भूमि के सीमांकन ,वं कृषि कार्य के परिपेक्ष में मौके पर हो रही चर्चा के मध्य समस्त अप्रार्थीगण सख्या 1 लगायत 10 मोके पर आये तथा प्रार्थी से लड़ाई झगड़ा करने पर आमादे हुए अप शब्दो का प्रयोग किया तथा धमकी दी कि उपरोक्त भूमि को हम काश्त करेंगे तथा प्रार्थी का बेदखल करने कि धमकी दिनांक 23/05/2024 को दी प्रार्थी को भूमि पर हकाई जुताई एवं खरार करने बाधा उत्पन्न की प्रार्थी ने बड़ी मुश्कील से उक्त आराजी पर हकाई जुताई एवं खरार का कार्य पुरा किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 10 जो अनूसूचित जाति के लोग है प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़े पर उतारू हुऐ गाली गलौच की तथा प्रार्थी को धमकी दी की इस जमीन पर हम काश्त करेंगें तथा प्रार्थी को आराजी से बेदखल करने की धमकी देते हुऐ कहा कि प्रार्थी अथवा प्रार्थी के परिजनो पर धारा 3 अनू० जाति अत्याचार का कुकदमा बनवाकर रिपोर्ट दर्ज करवा कर जेल करवा देंगे। प्रार्थी ने कहा कि यह जमीन मेरे खाते एवं कब्जे की है। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तो भी प्रार्थी को जान से मारने एवं लड़ाई झगड़े करने पर आमादा हुऐ। अप्रार्थीगण संख्या 11 लगायत 14 जो प्रार्थी के पड़ोसी वादी की भूमि मै जबरन घुसना चाहते है। प्रार्थी अप्रार्थीगण के द्वारा दी गई धमकी से अत्यधिक भयभीत है यदि अप्रार्थीगण सख्या 1 ता 14 को जयें स्थायी निषेधाक्षा पाबन्द नहीं किया गया तो वह प्रार्थी को उसकी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि ख.न. 211/6 रकबा 0.8852 है. भूमि हास्याखेडी माल से बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित कर लेंगें प्रार्थी को भारी क्षति होगी। प्रार्थी के द्वारा बामुश्किल खरार की इस पर भी अप्रार्थीगण ने कहा की आज हकाई कर दी तो क्या हुआ हम ही जमीन को बोऐंगें। प्रार्थी से पैमायश का सुझाव भी दिया लेकिन नहीं माने। ऐसी स्थिती में वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से न्यायालय श्रीमान में स्थायी निषेधाक्षा हेतु वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 23.05.2024 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को हकाई करने से रोका लड़ाई–झगड़े पर आमादा हुऐ धारा 3 का मुकदमा बनवाने की धमकी दी। अप्रार्थीगण गण संख्या 1 ता 10 की आसपास तक कोई कृषि भूमि नही है जबकी अप्रार्थीगण संख्या 11 ता 14 पड़ौसी कृषक है। जिनका प्रार्थी भी खातेदारी की भूमि में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 10 की आरसपास तक कोई भूमि नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी है प्रार्थी आराजी का खातेदार व काबिज है अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थी को बलपुर्वक बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित कर लिया तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी। गैर जरूरी मुकदमे बाजी में उलझकर जेरबार होना पड़ेगा जिसकी आर्थिक रूप से क्षतिपूर्ती होना असंभव है सहायता संतुलन बेहक प्रार्थी है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जयें सम्मन तलव किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 की ओर से जवाब पेश हुआ। अप्रार्थी क्रम 11 वावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी क्रम 12 ता 14 की ओर से जवाब पेश नही होने के कारण जवाव वन्द किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हास्याखेडी सम्वत् 2074–77 संख्या 86 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम हास्याखेडी पेश किया गया।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 की ओर से जवाब पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण कमांक 1 ता 10 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। पूर्व में यह भूमि अप्रार्थीगण क्रमांक 1 ता 5 के पिता तथा अप्रार्थी कम 6 ता 10 के दादाजी प्रभूलाल

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

..... अप्रार्थीगण

कब्जे काश्त में चली आ रही थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र अप्रार्थीगण कमांक ता 5 तथा हीरालाल (मृतक पुत्र) के कब्जे काश्त में रही। हीरालाल की मृत्यु पश्चात उसके पुत्र अप्रार्थीगण कम 6 ता 10 के कब्जे काश्त में चली आ रही है इस प्रकार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी कम 1 ता 10 के कब्जे काश्त में अपने पूर्वज प्रभूलाल के समय से निरन्तर, बिना किसी बाधा के चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागू हुए उस समय यह भूमि अप्रार्थी कम 1 ता 10 के पूर्वज प्रभूलाल के कब्जे काश्त में थी। उसके बाद से निरन्तर उसके तथा अप्रार्थी कम 1 ता 10 के कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थीगण 1 ता 10 को इस भूमि पर कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। 60 वर्षो से भी अधिक समय से इस पर अप्रार्थीगण कमांक 1 ता 10 का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकार धारा 63 (iv) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके हैं। अप्रार्थीगण 1 ता 10 ने प्रार्थी के विरुद्ध एक दावा बाबत् घोषणा खातेदार कृषक एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायाय में प्रस्तुत कर रखा है। जो अभी विचाराधीन है। 5. प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर Tenant in possession नहीं है। इस कारण वह अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा सर्वथा असत्य तथ्यों के आधार पर यह वाद / प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका एकमात्र उद्देश्य अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से परेशान करने का रहा है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण क्रमांक 1 ता 10 प्रार्थी से विशेष हर्जा खर्चा 50000/– रुपए प्राप्त करने के अधिकारी है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम हास्याखेडी तहसील छबडा की आराजी खसरा नम्बर 211/6 रकबा 0.8852 है0 का खातेदार कृषक है जो प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है अप्रार्थीगण प्रार्थी के खाते की भूमि के पडौसी खातेदार है प्रार्थी के खाते की भूमि पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 जबरन कब्जा कर बेदखल करने पर आमादा है अप्रार्थीगण को अपनी भूमि की पैमाईश कराने को कहां परन्तु वह उसके लिए सहमत नही है अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य है प्रार्थी को अन्य मुकदमें बाजी में फसाने की कोशिश में है यदि अप्रार्थी क्रम 11 ता 14 पडौसी खातेदार है तथा अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 की आस पास कोई भूमि नही है अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 को प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान अभिभाषक अप्रार्थीगण का कथन है कि विवादित आराजी अप्राथीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है पूर्व में यह भूमि अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 के पिता एवं अप्रार्थी क्रम 6 ता 10 के दादा जी प्रभूलाल के कब्जे काश्त में चली आ रही थी। उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ता 5 व हीरालाल के कब्जे काश्त में थी। तथा हीरालाल की मृत्यु के बाद अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 के कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित आराजी पर अप्रार्थी क्रम 1 ता 10 के कब्जे काश्त में अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान लागु हुए उस समय से यह भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है विवादित आराजी पर प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

..... अप्रार्थीगण

कभी कब्जा काश्त नही रहा। लगभग 60 वर्षो से अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है प्रार्थी के खातेदार अधिकार धारा 63 (iv) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो चुके है प्रार्थी विवादित आराजी पर Tenant in possession नहीं है। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हास्याखेडी सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 86 के अनुसार प्रार्थी हरिराम पुत्र रामकिशन जाति गुर्जर सा0देह अहमदपुरा बतौर खातेदार कृषक दर्ज है इससे यह सावित है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी की है अप्रार्थीगण के खातेदारी नही है अप्रार्थीगण का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी पर कब्जा साबित करने बाबत ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश नही किया जिससे विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा साबित हो सके। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नही है।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बारां(राजस्थान)।